न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. रतन आत्मज उदा नाई (सेन) निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।

——प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज भैरू नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. गजानंद आत्मज भैरू नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. बदाम पुत्री भैरू नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. मु0 नानु पुत्री भैरू नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
5. मांगी पुत्री भैरू नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
6. टमु पुत्री भैरू नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
7. चांदमल आत्मज उदा नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
8. मंजु पुत्री उदा नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
9. रूकमणी बेवा उदा नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
10. कालु आत्मज भूरा नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
11. कन्हैयालाल आत्मज भुरा नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
12. रूकमणी बेवा भुरा नाई निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
13. शांतिलाल आत्मज छोगा लौहार निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
14. गोपीलाल आत्मज छोगा लौहार निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
15. मांगीलाल आत्मज भुरा लौहार निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
16. भैरूलाल गोदपुत्र कालु लौहार निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
17. रामलाल आत्मज नाथु सेन निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
18. श्यामलाल आत्मज नाथु सेन निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
19. शांतिलाल आत्मज शंकर सेन निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
20. चुन्नीलाल आत्मज शंकर सेन निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
21. शिवलाल आत्मज शंकर सेन निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
22. कैलाश आत्मज शंकर सेन निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
23. लेहरू आत्मज शंकर सेन निवासी नांदशा के. तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।

——विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–25.02.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नांदशा, पटवार क्षेत्र नांदशा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 2258 रकबा 0.50 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 482 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 23 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकप़क्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

§21§ शिवलाल आत्मज शंकर

प्रकरण संख्या :– 01/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नांदशा, पटवार क्षेत्र नांदशा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 2258 रकबा 0.50 है0 भूमि स्थित है। भूमि का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)